विधि कार्य विभाग में न्यायिक अनुभाग के कार्य

न्यायिक अनुभाग उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के मुकदमों के व्यवस्थापन के प्रति उत्तरदायी है। इसका कार्य भारत के अटार्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति को संसाधित करना है तथा केन्द्र सरकार की ओर से मुकदमों से संबंधित कार्यों को संचालित करने के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों और कुछ राज्यों के उपभोक्ता फोरम में तथा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जांच आयोग, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों आदि में मामलों को संचालित करने के लिए मंत्रालयों/ विभागों की ओर से विधि अधिकारियों और अन्य कांउसेल की नियुक्ति करना है। मामलों के संचालन हेतु उनके नियमों और शर्तों का प्रतिपादन और निपटान करना भी उनके कार्यों में शामिल है। न्यायिक अनुभाग भारत सरकार के विभिन्न विभागों और निजी पक्षकारों के बीच के विवादों में माध्यस्थम के नामांकन के लिए भी उत्तरदायी है।

2. जीएसआर 167 के अंतर्गत आदेश, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की अनुसूची-I के आदेश XXVII के नियम 1 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध रिट कार्रवाई में या सिविल न्यायालय के किसी भी न्यायालय में वाद या लिखित विवरण को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए यह अनुभाग संवैधानिक आदेशों को जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है। यह अनुभाग अनुच्छेद 299 के खंड-1 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की ओर से संविदा और करार को हस्ताक्षरित करने के लिए भी अधिकारियों को प्राधिकृत करता है।

3. यह अनुभाग सिविल वादों में समनो की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण-पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध से संबंधित कार्य भी करता है।

4. भारत ने, वर्ष 2007 में सिविल और वाणिज्यिक मामलों के संबंध में विदेश में साक्ष्य लेने पर हेग सम्मेलन तथा सिविल और वाणिज्यिक मामलों के संबंध में न्यायिक और इतर न्यायिक दस्तावेजों की विदेश में सेवा पर हेग सम्मेलन पर अपनी सहमति प्रदान की है। विधि एवं न्याय मंत्रालय दोनो कन्वेंशन के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण है। न्यायिक अनुभाग न्यायिक प्राधिकरण के माध्यम से उक्त सम्मेलनों के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त, भारत के नागरिकों को नोटिस/ समन की तामील से संबंधित कार्य करता है। न्यायिक अनुभाग देश के न्यायिक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिस/ समन की तामील को विदेशों के केन्द्रीय प्राधिकरणों को अग्रेषित करने से संबंधित कार्य भी देखता है।